राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान
मिनि सचिवालय, बनीपार्क, जयपुर

(देखिये नियम 19 (1))

प्रत्यर्थी को सम्मन

अपील संख्या ....

प्रेषिति :

.... (नाम, वर्णन और निवास)
....
....

यतः ....
.... (अपीलार्थी का नाम, पद, विभाग का नाम) ने ....
..... द्वारा पारित आदेश दिनांक .... के विरूद्ध अपील (अपील के ज्ञापन और आदेश की प्रति संलग्न है) दाखिल की है। एतद्द्वारा आपको व्यक्तिगत रूप से या सम्यक् रूप से अनुदेशित और प्राधिकृत तथा अपील से संबंधित समस्त सारवान प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ प्रतिनिधि या अधिवक्ता द्वारा अधिकरण के समक्ष तारीख .... माह .... वर्ष 200.................................... हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है।

आप सम्मन की तामील से 15 दिन के भीतर अपना जवाब पांच प्रतियों में और समस्त दस्तावेज पेश कर सकेंगे जिन पर आप अपने मामले के समर्थन में निर्भर करने हेतु आशयित हों।

जवाब दाखिल करने और पूर्व वर्णित दिन को उपस्थित होने के व्यतिक्रम में, अपील की सुनवाई और अवधारणा आपकी अनुपस्थिति में कर दी जावेगी।

आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुद्रा सहित जारी किया गया।

संलग्न :– अपील की प्रति

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

आवश्यक नोट :– संलग्न प्रति पर हस्ताक्षर कर प्राप्ति की सूचना हेतु तुरन्त लौटावें।